

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

शुद्धि-पत्र


पटना, दिनांक-28/12/2018

संख्या-1/प्रशि०स्था० 08/18 श्र०सं०.....168...../विभागीय अधिसूचना सं० 155, दिनांक 18.12.18 द्वारा बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के कुछ पदाधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

2. उक्त अधिसूचना के क्रमांक 2 के स्तम्भ 2 में अंकित "सहायक निदेशक, प्रावैधिक शिक्षा, मुख्यालय" के बदले "सहायक निदेशक, प्रशिक्षण" पढ़ा जाय।


3. शेष यथावत् रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
28/12/18  
(सूर्य कान्त मणि)  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/प्रशि०स्था० 08/18 श्र०सं० .....168...../ पटना, दिनांक-28/12/2018

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के सभी पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
28/12/18  
सरकार के उप सचिव।